न्यायालय – श्रीमती राधिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर, जिला – बड़वानी, (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रं. – 418/2022
संस्थापन दिनांक – 20.09.2022
सी.एन.आर.नं. – एमपी–4607–000987–2022
फाईलिंग नं. आर.सी.टी./968/2022

(निर्णय)

(आज दिनांक – 25.08.2025 को घोषित)

[RCT Case No. 418/2022]

(Detail of FIR/Crime and Police Station :- Crime No. **121/20212** u/s 327, 323, 34 Indian Penal Code, Police Station Palsud, Tehsil - Rajpur, District - **Barwani** (M.P.)

अभियोजन	मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा थाना प्रभारी पलसुद, जिला – बड़वानी (म.प्र.)
अभियोजन द्वारा	श्री के.एस. चौहान ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त	**1.** राजेश उर्फ गुटिया पिता काकरिया बारेला, उम्र– 25 वर्ष, **2.** पुटिया पिता छाबडा बारेला, उम्र– 25 वर्ष, **3.** गुला पिता तेरसिंह बारेला, उम्र–28 वर्ष सभी निवासी ग्राम सिदड़ी, थाना पलसुद, जिला बड़वानी (म.प्र.)
अभियुक्त द्वारा	श्री रविन्द्र जैन अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	06.04.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	07.04.2022
अभियोग पत्र की तारीख	20.09.2022
आरोप के विरचना की तारीख	23.06.2023

साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख	19.09.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	निरंक
निर्णय की तारीख	25.08.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	**दोषमुक्त**

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादश	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–428 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	राजेश उर्फ गुटिया पिता काकरिया बारेला,	22.04.2022	23.04.2025	धारा 327 भा. द.वि.	दोषमुक्त	दोषमुक्त	**निरंक**
2	पुटिया पिता छाबडा बारेला,	22.04.2022	23.04.2025	धारा 327 भा. द.वि.	दोषमुक्त	दोषमुक्त	**निरंक**
3	गुला पिता तेरसिंह बारेला	22.04.2022	23.04.2025	धारा 327 भा. द.वि.	दोषमुक्त	दोषमुक्त	**निरंक**

अभियोजन के साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–1	विजय	फरियादी साक्षी
अ.सा.–2	सतीष उर्फ गिरीश	आहत साक्षी

बचाव साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

सरल क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.–1/अ.सा.1/11.06.2025	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.–2/अ.सा.1/11.06.2025	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी.–3/अ.सा.1/11.06.2025	पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी.–4/अ.सा.2/25.08.2025	पुलिस कथन

बचाव पक्ष के प्रदर्श

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

अन्य जप्तशुदा वस्तुएं/आर्टिकल

क्रमांक	जप्तशुदा वस्तु	विवरण
1	वस्तु	एक आडकाट की लकडी, टी.व्ही.एस. अपाचे मोटरसाईकल क्रमांक एम. पी.–46 एम.आर.–8322, विडीयो सीडी

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता **की धारा 327 एवं 323 सहपठित धारा 34 काउंट–2** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.04.2022 को समय लगभग 22:00 बजे मिस्का फ्यूल सेंटर,

पलसुद लोक स्थान पर फरियादी से 200/– रूपये की अवैध रूपये मांगकर फरियादी को उद्यापित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर **आहत विजय एवं गिरीश** को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में **आहत विजय एवं गिरीश** के साथ हाथ–मुक्कों, लकडी व पत्थर से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि **फरियादी/आहत विजय एवं गिरीश** द्वारा दिनांक 10.06.2025 व दिनांक 25.08.2025 को धारा 320(2) दं.प्र.सं. का राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर अभियुक्तगण से राजीनामा किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्तगण को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 काउंट–2** के अपराध के आरोप से राजीनामा के आधार पर **दोषमुक्त** किया गया परन्तु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अन्तर्गत **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 327** अशमनीय होने के कारण अभियुक्तगण का विचारण अग्रसर किया गया।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विजय ग्राम एकलबारा भगवती फल्या रहता है तथा मिस्का फ्यूल सेंटर राजपुर रोड पलसुद पर सेल्समेन का कार्य करता है। दिनांक 06.04.2022 को रात्रि करीबन 10:00 बजे पेट्रोल पंप पर राजेश पिता काकरिया व पुटिया पिता छाबडा निवासी सिदडी के आये। राजेश ने उसकी मोटरसाईकल अपाचे नंबर एम.पी.–46 एम. आर.–8322 में 200/– रूपये का पेट्रोल भरवाया उसने राजेश से 200/– रूपये पेट्रोल के मांगे तो राजेश व पुलिया दोनों बोले कि वे यहां के दादा है उनको पैसे नहीं लगते है। यह पेट्रोल पंप चलाना है तो उनको पेट्रोल फ्री में देना होगा, नहीं दोगे तो यहां पंप नहीं चलाने देगें तथा अडीबाजी कर पेट्रोल के 200/– रूपये नहीं दिये। उसने रूपये मांगे तो राजेश ने फोन करके उसकसे एक और साथी को पंप पर बुला लिया जिसका नाम वह नहीं जानता है। फिर दोनों ने उसके साथ हाथ–मुक्कों से तथा राजेश ने लकडी से मारपीट की जिससे उसे दाहिने गाल, दाहिने पैर की जांघ पर चोट आई है। पंप पर खडे दीपक पिता विनोद ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी राजेश तथा उसके साथियों ने धक्का–मुक्की की। इतने में सतीष पिता राजेन्द्र निवासी पलसुद का आया गया था उसने राजेश व उसके साथियों को गोई पुल तरफ जाकर समझाने की कोशिश की तो राजेश ने पत्थर उठाकर सतीष जायसवाल

को सिर में मार दिया, जिससे चोट होकर खुन निकल आया था। घटना सुनिल, गोलू ने देखी है। इनके डर के कारण कल वह अपने घर ग्राम एकलबारा चला गया था। दूसरे दिन वह अपने सेठ विकास को साथ लेकर थाना पलसुद में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई, जिसके उपरांत प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त लकडी एवं मोटरसाईकल जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय समक्ष पेश किया गया था।

04. पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त के विरूद्ध कोई विपरीत साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिस कारण अभियुक्त परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

05. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है –

1– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.04.2022 को समय लगभग 22:00 बजे मिस्का फ्यूल सेंटर, पलसुद लोक स्थान पर फरियादी से 200/– रूपये की अवैध रूपये मांगकर फरियादी को उद्यापित किया?

विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिंदु क्रं. 1

06. इस संबंध में फरियादी विजय (अ.सा.–1) व आहत सतीष उर्फ गिरीश (अ.सा.–2) द्वारा कथन किये गए कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानते हैं। घटना उनके न्यायालयीन कथन से लगभग 3 वर्ष पूर्व की होकर रात्रि के 10:00 बजे की है। घटना दिनांक को उनकी अभियुक्तगण से मौखिक बोलचाल हो गई थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी विजय (अ.सा.–1) ने थाना पलसुद में की थी जो **प्रदर्श पी–1** है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो **प्रदर्श पी–2** है, जिस पर विजय (अ.सा.–1) ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। पुलिस ने पुछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07. अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन नहीं किये जाने पर उनसे प्रतिपरीक्षात्मक प्रश्न पूछे गए जिसमें उन्होनें अपने पुलिस कथन अंतर्गत धारा

161 द.प्र.सं. **प्रदर्श पी–3 व पी–4** के ए से ए भाग से स्पष्टतः इंकार किया है।

08. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि आहतगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण आहतगण ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विपरीत कथन नहीं किये है।

09. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ बोलचाल होना दर्शित होता है, जिसके संबंध में अभियुक्तगण को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है कि अभियुक्तगण ने आहतगण के साथ अवैध रूपये मांगकर फरियादी को उद्यापित किया। आहतगण द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं। फलतः साक्ष्य अभाव में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 06.04.2022 को समय लगभग 22:00 बजे मिस्का फ्यूल सेंटर, पलसुद लोक स्थान पर फरियादी से 200/– रूपये की अवैध रूपये मांगकर फरियादी को उद्यापित किया। अतः विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 **अप्रमाणित** पाया जाता है।

अंतिम आदेश

10. प्रकरण की परिस्थितियों तथा उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित दोषारोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **1. राजेश उर्फ गुटिया पिता काकरिया बारेला, 2. पुटिया पिता छाबडा बारेला, 3. गुला पिता तेरसिंह बारेला** को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 327** के अधीन दंडनीय के आरोपो से **दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र** किया जाता है।

11. अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति–पत्र व बंधपत्र भारमुक्त किये जाये। धारा 437–ए दंप्रसं. के अधीन अभियुक्तगण का 10,000–10,000/– रूपये का स्वयं का बंधपत्र लिया जाता है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकल क्रमांक एम.पी.–46 एम. आर.–8322 को आवेदक/सुपुर्दगीदार **गुला पिता तेरसिंग जमरे निवासी ग्राम सिदडी तहसील राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.)** की अंतरिम सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त माना जावे। अपील होने की दशा में

माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

13. प्रकरण में जप्तशुदा एक एक आडकाट की लकडी अपील अवधि अवसान उपरांत मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति विडीयो सीडी अभिलेख का भाग रहेगी। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

15. अभियुक्तगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में यदि रहे है, तत्संबंधी प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
श्रीमती राधिका गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)

सही/–
श्रीमती राधिका गर्ग
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)

दिनांक – 25.08.2025
राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)

RADHIKA GARG

Digitally signed by RADHIKA GARG
Date: 2025.08.25 17:52:35 +0530